न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/44/2022

मुरसलीन उर्फ मुरसलीम पुत्र श्री खुर्शीद आयु 29 साल निवासी रामसिंह पुर पालकी थाना सीकरी जिला भरतपुर राज0

......प्रार्थी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 457 जा0फो0 बावत वाहन महिन्द्रा बोलेरो एसएलएक्स 2वीडी पंजीयन नंबर आरजे05/यू.ए. 5559 वसिलसिले एफआईआर नंबर 0041/2021 पुलिस थाना सीकरी अंतर्गत धारा 279, 427 भा0द0स0 3/4 गौवंश अधिनियम 1995

उपस्थित :–

1–श्री मुकीम खान अभिभाषक प्रार्थी,

2– पैरोकार सरकार अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 24.5.2022**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाहन का खरीद शुदा मालिक काबिज है, प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना सीकरी द्वारा उक्त प्रकरण में जप्त कर लिया है, प्रार्थी का वाहन थाना सीकरी में खुले में खड़ा हुआ है जिससे वाहन के खराब होने की पूर्ण सम्भावना है। पुलिस थाना सीकरी को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने दैनिक कार्यो के लिये उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी एवं पुलिस थाना सीकरी से रिपोर्ट तलब की गई। पुलिस थाना सीकरी से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी उक्त वाहन का जरिये विक्रयनामा खरीद कर मालिक काबिज है, प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रार्थी का वाहन महिन्द्रा वोलेरो एसएलएक्स 2वीडी पंजीयन नंबर आरजे05 / यू.ए. 5559 वसिलसिले एफआईआर नंबर 0041 / 2021 पुलिस थाना सीकरी ने जप्त किया हुआ है। जप्त वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है वाहन के खुले में खड़े रहने से धूप वर्षात में वाहन के खराव होने की सभावना है, प्रार्थी को भी अपने रोजना के कार्यो के लिये भी वाहन की आवश्यकता होती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जावें, न्यायालय जो शर्त तैय करेगी प्रार्थी को स्वीकार होगी।

पैरोकार सरकार का कथन है कि पुलिस थाना सीकरी की तफतीश में मुलजिम मुरसीलम पुत्र खुर्शीद जाति मेव निवासी रामसिंहपुर पालकी थाना सीकरी के खिलाफ अपराध 3,4,6 / 8 आरबीए एक्ट व 279, 427 आईपीसी का जुर्म पाये जाने पर मु.न.41 / 21 दर्ज किया गया। मुलजिम न्यायालय एडीजे न.2 डीग से जमानत पर आजाद है। प्रकरण चार्जशीट न्यायालय में पेश किया जाना शेष है। जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1666 दिनांक 4.5.2022 का अवलोकन किया गया। संक्षेप में इस प्रकार है वाहन बोलेरो गाडी रंग सफेद नम्बर आर.जे.05 यूए 5559 गौमांश तस्कीर परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर द्वारा अपराध 3,46 / 8 आरबीए एक्ट व 279, 427 आईपीसी का जुर्म पाये जाने पर मु.न.41 / 21 दर्ज किया गया, तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जाना शेष बताया गया है। वाहन को छोड़ने सुपुर्दगी में दिये जाने बाबत को उल्लेख नहीं किया गया है। चूकि प्रकरण चार्जसीट थाना अधिकारी पुलिस थाना सीकरी द्वारी सक्षम न्यायालय में पेश किया जाना है। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस थानाधिकारी, पुलिस थाना सीकरी जिला भरतपुर राज0 को वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर